न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 28 / 2020

1. चरन पुत्र श्री शैलानी उम्र 45 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
2. लक्ष्मी पत्नी श्री नारायण सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
3. रम्मो पत्नी श्री रामजीलाल उम्र 70 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
4. संतोष पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 30 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
5. पंकज मंगल पुत्र श्री दिनेश चंद गुप्ता उम्र 19 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
6. राधा पत्नी श्री चरन सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
7. नरेश कुमार पुत्र श्री पीतम दास उम्र 30 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
8. सुनीता पत्नी श्री भीम सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी पठान पाडा वार्ड संख्या 7 बयाना
9. सुमन पुत्री श्री निरंजन उम्र 19 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
10. मोतीलाल पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 45 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
11. सोनम कुमारी पत्नी श्री रविन्द्र महावर उम्र 22 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
12. राहुल पुत्र श्री अशोक उम्र 23 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
13. अशोक पुत्र श्री घूरेलाल उम्र 45 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
14. निशू पुत्र श्री अशोक उम्र 20 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
15. सुकंत कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 47 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना
16. सुमन देवी पत्नी श्री अशोक उम्र 46 वर्ष निवासी उषा मन्दिर के पास वार्ड संख्या 7 बयाना

.... अपीलांटस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपील खिलाफ आदेश दिनांक......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना

निर्णय

दिनांक : 07.12.2020

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक ....के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड संख्या 07 कस्बा बयाना के मूल निवासी हैं व इसी वार्ड में परिवार सहित स्थाई निवास करते है व सभी के राशनकार्ड हैं। अपीलान्ट्स के वार्ड संख्या 07 की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आवेदन पर बी0एल0ओ0 द्वारा वार्ड संख्या 07 के निवासी होना व नाम जोड़ने की रिपोर्ट की है परन्तु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने बिना कारण के अपीलान्ट्स के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है, जो अवैध है । अपीलान्ट्स द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 07 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि **" अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 10 द्वारा वार्ड संख्या 07 में निवास करने का कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है। अपीलान्ट्स संख्या 12,13,14,15,16 वार्ड संख्या 07 कस्बा बयाना में निवास नहीं करते हैं । इनके द्वारा बिना साक्ष्य सबूतों के आधार पर नाम जोड़ने बावत आवेदन पेश किये है, जो स्वीकार नहीं किये जा सकते। इसी प्रकार अपीलान्ट सं0 11 की शादी हो चुकी है । शादी होने के उपरान्त इनका नाम जोड़ना उचित नहीं है "।**

अपीलान्ट संख्या 11 की शादी हो जाने के कारण इनका नाम वार्ड संख्या 07 कस्बा बयाना की मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 10 के द्वारा वार्ड संख्या 07 में निवास करने का कोई ठोस साक्ष्य अपने आवेदन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

साथ प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलान्ट संख्या 12,13,14,15,16 का वार्ड संख्या 07 कस्बा बयाना में निवास करना ही नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के नाम नगरपालिका बयाना की निर्वाचक नामावली में जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है। ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:05:52 IST
Reason: SelfAttested